I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB GURGAON **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0034 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 06/09/2022 15:51 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	384
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(b)
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/09/2022 **Time (समय):** 12:40 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 016 **Date and Time (दिनांक और समय):** 06/09/2022 15:22 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 30 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): पटौदी जिला गुरुग्राम,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** श्री पंखुरी ह0सु0से0 DSP

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 01/01/1983 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	SVB GURGAON, SVB GURGAON, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	SVB GURGAON, SVB GURGAON, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	राजेश प्रजापति HCS			1. तत्कालीन SDM पटौदी GGM,GURUGRAM,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा मे, प्रबन्धक अफसर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम । विषय :- प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर । श्रीमान जी, निवेदन यह है कि जांच क्रमाक 06 दिनांक 17.12.2020, गुरुग्राम मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 11/09/2020-1चौ0(II) दिनांक 14.12.2020 की पालना मे कार्यालय महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय मे दर्ज रजिस्टर की जाकर कार्यालय पृष्ठ क्रमांक 15707/गुप्त/रा0चौ0ब्यू0(ह0) दिनांक 17.12.2020 को शिकायत के अनुसार आरोपो की पडताल करने के लिए इस मण्डल मे प्राप्त हुई थी ।

M/s Maruti Motors,a Partnership Firm having its office at Dividing road of Sector 6-7, Faridabad, के मालिक श्री राजीव कपुर पुत्र श्री एम.के. कपुर व संजीव सलूजा निवासी Dividing Road Sector 6-7, Faridabad, के द्वारा श्री ज्ञान प्रकाश शर्मा पुत्र श्री दलीप सिह निवासी दलीप फार्म, NH-8, रंगपुरी नई दिल्ली से गांव खवाशपुर सब तहसील फररुखनगर जिला गुरुग्राम मे 4 कनाल 12 मरला जमीन 99 साल के पट्टे पर दिनांक 13.05.2016 को ली गई है । जिसकी वसीका न0 376 दिनांक 13.05.2016 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय फररुखनगर मे रजिस्टर्ड करवाई गई है जिसके लिये M/s Maruti Motors ने वसीका रजिस्टर्ड करवाते समय प्लॉट की कीमत 13,54,042/- रुपये पर स्टाम्प डयूटी के लिये 48,100/- रुपये जमा करवाये गये है । Rent Deed के अनुसार जमीन का मासिक किराया 70,800/- रुपये पलस 15% Service Tax दिनांक 13.05.2016 से लागू था व हर वर्ष 10% वृद्धि किराये मे की जानी थी ।

फर्म द्वारा उस जमीन पर कोई कार्य नही किया जा सका जिसके लिये दोनो पार्टियो मे सहमति होने के कारण पट्टानामा, कार्यालय सब-तहसील फरुखनगर मे आदेश क्रमांक 2507 दिनांक 02.11.2018 के अनुसार रदद करवाया गया है तहसील कार्यालय द्वारा फर्म को 12,89,55,467/- रुपये की रिकवरी करने का नोटिस जारी किया गया जो फर्म को 05.11.2018 को प्राप्त हुआ । इसके उपरान्त फर्म के वकील द्वारा सम्बन्धित फाईल ली गई व रिकवरी को Set aside कराने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया ।

SDM Mr. Rajesh Prajapati kept on adjourning the matter and did not pass any order.(एस.डी.एम. श्री राजेश प्रजापति ने मामले का स्थगित रखा और कोई आदेश पारित नही किया) जिस बारे श्री राजेश प्रजापति, एस0डी0एम0, पटौदी ने शिकायतकर्ता श्री संजीव सलूजा को दिनांक 26.01.2020 को अपने घर बुलाकर डरा धमका कर कुल 55 लाख रुपये की मांग की । शिकायतकर्ता ने कहा कि उससे गलत हिसाब से वसूली की जा रही उसका वकील माननीय अदालत मे उसका पक्ष विस्तारपुर्वक रखेगे सबूतो के आधार पर और इतनी बडी रकम देने के लिये उसके पास पैसे नही है ।

प्रतिवादी श्री राजेश प्रजापति, एस0डी0एम0, पटौदी ने फरवरी 2020 मे शिकायतकर्ता श्री संजीव सलूजा को बातचीत के लिये अपने घर गुरुग्राम मे दोबारा बुलाया और आखिरकार प्रतिवादी श्री राजेश प्रजापति, एस0डी0एम0, पटौदी ने शिकायतकर्ता श्री संजीव सूलजा से कहा कि उसने (प्रतिवादी ने) एक प्लॉट गोल्फ कोर्स रोड पर खरीदा है जिसकी उसे पेमैन्ट करनी है और प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता से कहा कि वह उसे (प्रतिवादी को) 11 लाख रुपये नगद, एक कार 7 लाख रुपये की और 2 स्टाफ की 40,000/- रुपये सैलरी प्रतिमाह के हिसाब से 5 साल के लिये देने के लिये कहा । इस प्रकार प्रतिवादी श्री राजेश प्रजापति, एस0डी0एम0, पटौदी ने शिकायतकर्ता श्री संजीव सलूजा से 42 लाख रुपये की रिशवत की मांग की । जिनमे फरवरी 2020 मे प्रतिवादी श्री राजेश प्रजापति, एस0डी0एम0, पटौदी ने शिकायतकर्ता श्री संजीव सलूजा से कहा कि उसका आदमी पैसे लेने आयेगा

और एक व्यक्ति श्री शिशपाल मोर, चण्डीगढ जिसका सम्पर्क नम्बर शिकायतकर्ता के पास भेजा गया जो शिकायतकर्ता से 5 लाख रुपये ले गया ।

दिनांक 13.03.2020 को शिकायतकर्ता श्री संजीव सलूजा के मोबाईल पर प्रतिवादी ने व्हाटसअप मैसेज भेजा और 7 लाख रुपये दिनांक 31.03.2020 से पहले और 6 लाख रुपये दिनांक 15.04.2020 से पहले व 2 स्टाफ की सैलरी 1 से 10 अप्रेल 2020 तक शुरु करने की मांग की जो कि शिकायतकर्ता श्री संजीव सलूजा ने प्रतिवादी श्री राजेश प्रजापति, एस0डी0एम0, पटौदी को 13 लाख रुपये नगद दे दिये । इस प्रकार से प्रतिवादी श्री राजेश प्रजापति, एस0डी0एम0, पटौदी ने शिकायतकर्ता श्री संजीव सूला से तीन बार मे रिशवत के रुप मे कुल 18 लाख रुपये प्राप्त किये ।

आरोपो की पडलात से पाया गया है कि श्री राजेश कुमार, HCS, माह जुलाई 2019 से माह जुलाई 2020 तक एस0डी0एम0, पटौदी कार्यरत रहा है ।

फर्म Maruti Motors के मालिक श्री राजीव कपूर पुत्र श्री एम.के. कपूर व संजीव सलूजा निवासी Dividing Road Sector 6-7, Faridabad के द्वारा श्री ज्ञान प्रकाश शर्मा पुत्र श्री दलीप सिह निवासी दलीप फार्म, NH- 8, रंगपुरी नई दिल्ली से गांव ख्वाशपुर सब तहसील फरुखनगर जिला गुरुग्राम मे 4 कनाल 12 मरला जमीन 99 साल के पट्टे पर वसीका न0 376 दिनांक 13.05.2016 को रजिस्टर्ड करवाई थी । फर्म Maruti Motors ने वसीका रजिस्टर्ड करवाते समय प्लॉट की कीमत 13,54,042/- रुपये पर स्टाम्प डयूटी के लिये 48,100/- रुपये जमा करवाते थे । Rent Deed के अनुसार जमीन का मासिक किराया 70,800/- रुपये पलस 15% Service Tax दिनांक 13.05.2016 से लागू था व हर वर्ष 10% वृद्धि किराये मे की जानी थी

तहसीलदार, फरुखनगर, जिला गुरुग्राम से प्राप्त स्टाम्प ऑडिटर द्वारा किये गये ऑडिट की रिपोर्ट के अनुसार किराया नामा की वसीका नम्बर 376 दिनांक 13.05.2016 व पट्टानामा रदद करने की वसीका नम्बर 2507 दिनांक 02.11.2018 नियमानुसार रजिस्टर्ड की गई है । रजिस्ट्रेशन का सॉफटवेयर, HARIS केवल एक वर्ष के औसत किराये की गणना करके स्टाम्प डयूटी की राशी वसीका पर निर्धारित करता है । इस प्रकार वसीका न0 376 दिनांक 13.05.2016 की औसत राशी कुल 13,54,043/- रुपये पर 48,100/- रुपये की स्टाम्प डयूटी सॉफसटवेयर अनुसार सही दर्शाई गई है तथा जिसके अनुसार वसीका सही पंजीकृत की गई है ।

तहसीलदार फरूखनगर कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 469 दिनाकं 09.02.2018 से उप मण्डल अधिकारी(ना0) पटौदी गुरूग्राम को लिखा गया जिसमें M/s मारूति मोटर्स के द्वारा वसीका नम्बर 376 दिनांक 13.05.2016 पंजीकृत कराई गई जिसका ऑडिट करते समय स्टाम्प लेखा परीक्षक गुरूग्राम द्वारा कम स्टाम्प डयूटी 12,89,55,467/-रूपये तथा कमी रजिस्ट्रेशन फीस 5000/- रूपये दर्शाई है और इस सम्बंध मे उपरोक्त वसीका पर भारतीय स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 47 ए के अन्तर्गत कार्यवाही करने बारे लिखा गया।

स्टाम्प लेखा परीक्षक गुरूग्राम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यालय कलैक्टर पटौदी, जिला गुरूग्राम द्वारा नोटिस क्रमांक 380/रीडर दिनांक 11.05.2018 धारा 47 ए भारतीय स्टाम्प एक्ट 1899 के अनुसार फर्म मारूती मोटर्स खवासपुर को जारी किया गया तथा पत्र क्रमांक 616/रीडर दिनांक 05.09.2018 श्री राजीव कपूर पुत्र श्री एम.के.कपूर व संजीव सलूजा निवासी Dividing Road Sector 6-7, Faridabad को जारी करके दिनांक 10.09.2018 को प्रात: 10.00 बजे लगने वाले खुले दरबार में उपस्थित होकर अपने केस की पैरवी के लिए लिखा गया।

शिकायतकर्ता द्वारा किराया नामा (Rent-Agreement) के अनुसार जो जमीन किराये पर ली गई थी उसका भौतिक रूप से(फिजीकल पॉजिशन)कब्जा कभी भी नही लिया, ना ही कभी किराया दिया तथा ना ही वह जमीन किरायेदार द्वारा कभी प्रयोग में लाई गई।जिसपर दोनों पार्टियों मे सहमति होने उपरान्त उपरोक्त जमीन के किराये के लिए रजिस्ट्रर्ड करवाई गई वसीका नं0 376 दिनाकं 13.05.2016 को रद्द करवाने कि लिये फर्म द्वारा आवेदन किया गया जिस पर सब रजिस्ट्रार, फरूखनगर, जिला गुरूग्राम कार्यालय ने वसीका नं0 2507 दिनाकं 02.11.2018 के अनुसार पटटानामा की रजिस्ट्रर्ड वसीका नं0 376 दिनाकं 13.05.2016 को रद्द कर दिया।

लेकिन इसी दौरान दिनांक 05.11.2018 को शिकायतकर्ता श्री संजीव सलूजा व श्री राजीव कपूर की फर्म के कार्यालय में कम भरी गई स्टाम्प डयूटी की राशी 12,89,55,467/- रूपये का भुगतान करने के लिये नोटिस प्राप्त हुआ । शिकायतकर्ताओं ने अपने वकील के माध्यम से दिनांक 14.09.2018 को पारित एकतरफा आदेशों को Set-aside करने के लिये अपील दायर की जिस पर श्री राजेश कुमार,एच0सी0एस0, तत्कालीन उपमण्डल अधिकारी(ना0) साधिकार, कलैक्टर, पटौदी ने उपरोक्त Recovery Proceedings पर स्टे लगा दिया और दिनाकं 11.09.2019 को Recovery Proceedings के आदेशों को Set –aside कर दिया गया।

दौराने जांच शिकायतकर्ता श्री संजीव सलूजा पुत्र श्री वासुदेव सलूजा दिनांक 12.08.2022 को शामिल जांच हुआ जिसने अपने मोबाईल फोन नं0 9811034056 व प्रतिवादी श्री राजेश कुमार, HCS, तत्कालीन उपमण्डल अधिकारी(ना0), पटौदी के मोबाईल नं0 9810634277 पर हुई वाटसअप चैट की स्क्रीन शोट अपने मोबाईल से लेकर कथन के साथ पेश की तथा श्री संजीव सलूजा ने भरतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 65 बी का प्रमाण पत्र भी पेस किया है। वाट्सअप चैट के अध्ययन से पाया गया है कि प्रतिवादी श्री राजेश कुमार, HCS, तत्कालीन उपमण्डल अधिकारी(ना0), पटौदी द्वारा श्री संजीव सलूजा से वट्सअप चैट के माध्यम से रिश्वत की मांग करना पाया गया है । राजेश प्रजापति ने वाट्सअप चैट के माध्यम से शिकायतकर्ता संजीव सलूजा को अपने मित्र शीशपाल मोर का मोबाईल नम्बर भी भेजा हुआ है ।

वाटसअप चैट के अनुसार दिनांक 31.03.2020 तक 13 लाख रुपये व 2 स्टाफ की 5 साल के लिये 40000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 60 महिने का वेतन जो कुल 24 लाख की मांग की गई । चैट के अनुसार भी पैसे देने बारे कई मैसज किये हुये है । चैट के अनुसार दिनांक 27.02.2020 को केस की प्रगति बारे पूछने पर राजेश प्रजापति ने 29 तारीख से सिंगापुर जाने बारे लिखा है और यह भी कह रहा है कि रीडर छुट्टी पर है 7 मार्च को आर्डर टाईप होगा । सिंगापुर जाने से सम्बन्धित प्राप्त रिकार्ड है अनुसार राजेश प्रजापति सिंगापुर जाना पाया गया है । प्राप्त शुदा रिकार्ड के अनुसार रीडर सुधीर कुमार दिनांक 25.02.2020 से 28.02.2020 तक कार्यालय मे हाजिर होना नही पाया गया है ।

वाटसअप चैट मे राजेश प्रजापति यह लिख रहा है कि 7 मार्च तक आर्डर टाईप होगा लेकिन उसने रिकार्ड के अनुसार आदेश पर दिनांक 26.02.2022 को हस्ताक्षर किये है जिससे यह प्रतीत होता है कि उसने आदेश को पुर्व दिनांकित (Ante dating) किया है । आदेश को पुर्व दिनांकित (Ante dating) करने की सम्भावना को इस बात से बल मिलता है कि राजेश प्रजापति, एस0डी0एम0 के कार्यालय की दिनांक 26.02.2020 की कॉज लिस्ट मे इस केश का कोई जिक्र नही है ।

दिनांक 05.08.2020 की वाटसअप चैट के अनुसार संजीव सलूजा ने लिखा कि चूंकि उसने उसकी मांग पूरी नही की है अत: उसके खिलाफ आदेश पारित नही किया जाये और इस मामले का फैसला किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जाये । इससे यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता को

उसके खिलाफ किये गये आदेश की जानकारी ही नही थी । यह बात इससे भी साबित होती है कि शिकायतकर्ता की तरफ से किसी ने भी आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिये कोई प्रार्थना पत्र नही दिया था । यह भी हो सकता है कि उस समय तक राजेश प्रजापति ने कोई आदेश हस्ताक्षर नही किये थे । शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं सत्यापित वाटसअप चैट उपलब्ध कराई गई है जिनसे स्पष्ट तौर पर रिशवत की मांग करना पाया गया है । जो कि प्रथम दष्टया एक अपराध है । जांच के दौरान सामने आये साक्ष्यो से राजेश प्रजापति HCS तत्कालीन एस0डी0एम0, पटौदी द्वारा रिशवत की मांग करके धारा 7 पी0सी0एक्ट 1988 व 384 भा.द.स. का अपराध किया जाना पाया गया है । आरोपी का कृत्य Ex-Facie आपराधिक है, जिसका उसके अधिकारिक कर्तव्यो के निर्वहन से कोई सम्बन्ध नही है । इसलिए धारा 17 ए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की अनुमति आवशयक नही है ।

जांच के दौरान सामने आये साक्ष्यो से राजेश प्रजापति HCS तत्कालीन एस0डी0एम0, पटौदी द्वारा रिशवत की मांग करके धारा 7 पी0सी0 एक्ट 1988 व 384 भा.द.स. का अपराध किया जाना पाया गया है । जांच अधिकारी द्वारा धारा 7 पी0सी0 1988 व 384 भा.द.स. के तहत अभियोग अंकित करने का सुझाव दिया गया है और किसी अन्य कर्मचारी या व्यक्ति की अभियोग मे संलिप्तता पाई जाती है तो उसे भी अनुसंधान के दौरान मे देख लेने का सुझाव दिया गया था ।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3207 दिनांक 25.08.2022 के अनुसार जांच क्रमांक 06 दिनांक 17.12.2020, गुरुग्राम की अन्तिम जांच रिपोर्ट व प्रारुप लेख कार्यालय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला को भेजा गया था । जिस पर कार्यालय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के यादि क्रमांक 14240/सीक्रेट/एस.वी.बी. दिनांक 02.09.2022 अनुसार प्रारुप लेख अनुमोदित किया जाकर इस मामले मे प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जाकर अनुंसधान किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए है । इस मामले मे धारा 13(1) बी पी.सी. एक्ट का भी होना पाया जाने पर आरोपी राजेश प्रजापति HCS तत्कालीन एस0डी0एम0, पटौदी के विरुद्ध अपराध धारा 07,13 (1) बी पी0सी0 एक्ट 1988 व 384 भा.द.स. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किए जाने के लिए यह लेख मुख्य सिपाही राजीव, बैल्ट न0 2771/गुरुग्राम के माध्यम से थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम भेजा जा रहा है । स्पेशल रिपोर्ट की श्रेणी मे अभियोग पंजीकृत करके स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियो की सेवा मे भिजवाई जाए । मेरे द्वारा इस जांच की पडताल की गई है, इसलिए अभियोग का अनुसंधान किसी अन्य अनुसंधान आधिकारी को दिया जाए । प्रार्थी (पंखुरी, ह.पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम । दिनांक – 06.09.2022 AT – 12.35 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब गुरुग्राम बदस्त मुख्य सिपाही राजीव न0 2771/गुरुग्राम के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश DSP सतेन्द्र कुमार रा0 चौ0 ब्यूरो गुरुग्राम के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा मुख्य सिपाही राजीव न0 2771/गुरुग्राम के हवाले की गई । नोट- श्री मान जी, CCTNS मे तकनीकी खराबी के कारण CCTNS मे प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नही किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई है

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** SATENDER KUMAR DAHIYA **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): HPS **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): KULDEEP SINGH

14.

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर
/अंगूठे का निशान)

No. (सं.): IPS

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1972				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)